मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 4062 / NR-4//11 भोपाल, दिनांक 23 / 04 / 11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला समस्त (म.प्र.)

विषयः सनदी लेखाकर वित्त वर्ष 2010–11 के ऑडिट प्रारंभ होने की पूर्व तैयारियों के संबंध में।

––00––

विषयान्तर्गत शीघ्र ही वित्त वर्ष 2010–11 का सनदी लेखाकार का ऑडिट कार्य आपके जिलों में प्रारंभ होगा। यह ऑडिट कार्य समय–सीमा में सुनिश्चित करना होगा। इस ऑडिट कार्य हेतु आपको यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा कि सनदी लेखाकार को स्कीम से संबंधित समस्त अभिलेख यथा केशबुक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, लेजर, व्हाउचर, बीजक, चैक रजिस्टर, स्वीकृतियां एवं अन्य आवश्यक अभिलेख आदि तत्काल ही समय पर प्राप्त हों इस हेतु क्रियान्वयन ऐजेन्सियों के साथ ही जिले एवं जनपद के कार्यालयों के भी अनिवार्य अभिलेख आदि तैयार रखने होंगे। समस्त अभिलेख ऑडिट हेतु पूर्णतः तैयार है इस संबंध में दिनांक 02 मई 2011 तक ओ के रिपोर्ट परिषद् को अनिवार्यतः भेंजे।

शीघ्र ही आपको इस संबंध में आगामी निर्देश दिये जायेगें। इसी के साथ लेख है कि संबंधित ऑडिट कार्य जिले में निर्विघ्न संचालित हो अतः आपके जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे। ऑडिट कार्य नियमानुसार समय में पूर्ण हो इस हेतु आप भी अनिवार्य रूप से प्रत्येक सप्ताह स्वयं समीक्षा करेंगे एवं किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में में परिषद् मुख्यालय को अवगत करायेगें।

23/4/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक / 4063 / NR-4//11 भोपाल, दिनांक 23 / 04 / 11

प्रतिलिपि –

1. संभागायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक को उचित निर्देशन हेतु।

23/4/11

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल